UPET010011782013

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस 0 टी0 संख्या–16/2013

उ0प्र0 राज्य

–––––अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1–अवधेश पुत्र रामप्रताप
निवासी–झकरई, थाना अलीगंज, जिला एटा।
2–सुनील पुत्र हरीराम
निवासी–झकरई, थाना अलीगंज, जिला एटा।

––––––(अभियुक्त सुनील की पत्रावली आदेश दिनांकित 04.11.2017 के माध्यम से पृथक की गयी।)

3–शीलेन्द्र उर्फ शीलेश पुत्र बहोरीलाल
निवासी–पसिया बेगमपुर, थाना जलेसर, जिला एटा।
4–प्रमोद पुत्र नाथूराम **–––––––(मृतक–दौरान–वाद)**
निवासी टाड़ा, थाना एका, जिला फिरोजाबाद।

–––––––––अभियुक्तगण

अपराध संख्या–744/2012
आरोप पत्र की धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–कोतवाली नगर, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस 0 टी0 संख्या	16/2013
अपराध संख्या	744/2012
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना	कोतवाली नगर
अभियुक्त	अवधेश एवं शीलेन्द्र उर्फ शीलेश
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री रमेश चन्द्र जैन एवं श्री नीरज कुमार यादव, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	31.08.2012

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.04.01 16:21:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या 475/2013, दिनांक 26.08.2013
प्रसंज्ञान की तिथि	05.09.2013
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	08.04.2015
निर्णय की तिथि	01.04.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी0 एस 0 टी0 संख्या–16/2013, राज्य बनाम अवधेश आदि, अ 0 सं0–744/2012, अन्तर्गत धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में अभियुक्तगण अवधेश एवं शीलेन्द्र उर्फ शीलेश का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस 0 एच 0 ओ 0 चन्द्रशेखर सिंह रघुवंशी, थाना कोतवाली नगर ने दिनांक 31.08.2012 को जुबानी सूचना थाना कोतवाली नगर, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

दिनांक 31.08.2012 को वह एस 0 एच 0 ओ 0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराही कां० 591 अमृत सिंह व 655 उपेन्द्र सिंह के मय जीप सरकारी चालक अजब सिंह के थाने से व हवाले रपट नं0 68, समय 19:20 बजे देखरेख शान्ति व्यवस्था/कानून व्यवस्था, तलाश वांछित अपराधी अन्दर इलाका से वापस आया। दौराने भ्रमण ज्ञात हुआ कि अवधेश पुत्र रामप्रताप निवासी झकरई, थाना अलीगंज, एटा उम्र करीब 25 वर्ष ने अपना एक गिरोह बना रखा है, जिसके गिरोह के अन्य सदस्य सुनील पुत्र हरीराम निवासी झकरई, थाना अलीगंज, जिला एटा उम्र करीब 22 वर्ष, प्रमोद पुत्र नाथूराम निवासी टाड़ा, थाना एका, जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 30 वर्ष, शीलेन्द्र उर्फ शीलेश पुत्र बहोरीलाल निवासी पसिया बेगमपुर, थाना जलेसर जनपद एटा उम्र करीब 35 वर्ष का है, जो संगठित होकर हत्या का प्रयास, लूट, वाहन चोरी आदि जैसे गम्भीर अपराध करने के अपराधी है तथा इनके द्वारा उक्त जैसे अपराध करके अवैध धन (लाभ) अर्जन किया जाता है तथा समय–समय पर अपने साथियों के साथ भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध करते है तथा जमानत पर छूटते ही अपने साथियों के साथ संगठित होकर व गिरोह बनाकर अपराध किये जाते है तथा इनका समाज में भय व आतंक व्याप्त है। जन साधारण का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने को साहस नहीं करता है। इनके इस कृत्य समाज विरोधी गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार है। इन अभियुक्तगण द्वारा संगठित होकर गिरोह बनाकर निम्न आपराधिक घटनाओं को घटित किया है। अवधेश एवं सुनील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास मु0 अ 0 सं0–निल/2012, धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0 व 411, 413, 414 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, एटा, मु०अ०सं०–619/2011, धारा 379, 411 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, एटा, अ०सं०–689/2011, धारा 302, 394 भा०दं०सं०, थाना शमशाबाद, जिला फर्रूखाबाद, अ०सं०–271/2012, धारा 379, 411 भा0 दं0 सं0 थाना जसराना, फिरोजाबाद, अ०सं०–278/2012, धारा 379, 411 भा०दं०सं०, थाना जैथरा, जिला एटा, अभियुक्त प्रमोद का अपराधिक इतिहास–मु0 अ 0 सं0–निल/2012, धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0 व 411, 413, 414 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, एटा, मु०अ०सं०–619/2011, धारा 379, 411 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, एटा, अ०सं०–271/2012, धारा 379, 411 भा0 दं0 सं0 थाना जसराना, फिरोजाबाद, अभियुक्त शीलेन्द्र उर्फ शीलेश उपरोक्त, मु0 अ 0 सं0–निल/2012, धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0 व 411, 413, 414 भा0 दं0 सं0, थाना

कोतवाली नगर, एटा, अ०सं०–271/2012, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0 थाना जसराना, फिरोजाबाद, अ०सं०–184/2008, धारा 394,411 भा0 दं0 सं0 थाना जलेसर, जिला एटा मु0 अ 0 सं0–186/2008, धारा 147,148,307 भा0 दं0 सं0 थाना जलेसर, जिला एटा, मु0 अ 0 सं0–572/2009, धारा 393,397,302 भा0 दं0 सं0 थाना जलेसर, जिला एटा, मु0 अ 0 सं0–134/2008, धारा 394,411 भा0 दं0 सं0, मु0 अ 0 सं0–92/2009, धारा 394,411 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर जिला एटा, मु0 अ 0 सं0–597/2009, धारा 307 भा0 दं0 सं0 थाना जलेसर, जिला एटा उक्त अभियुक्तगण द्वारा संगठित होकर किये गये उपरोक्त अभियोग के आधार पर इसका जुर्म धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट 1986 की हद को पहुंचता है। गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदित कराया जा चुका है। अतः इन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाये।

3– मु०अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0, 411,413,414 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम अवधेश, प्रमोद, सुनील एवं शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0–619/2011, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा, बनाम अवधेश, सुनील, प्रमोद, मु0 अ 0 सं0 278/2012, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, थाना जैथरा, जिला एटा बनाम अवधेश, सुनील, मु0 अ 0 सं0 689/2011, धारा 302,394 भा0 दं0 सं0, थाना शमशाबाद, जिला फर्रूखाबाद बनाम अवधेश, सुनील, मु0 अ 0 सं0, 271/2012, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद बनाम अवधेश, सुनील, प्रमोद, शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0 184/2008, धारा 394,411 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश , मु0 अ 0 सं0 186/2008, धारा 148,148,307 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0 572/2009, धारा 393,397,302 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0 134/2008, धारा 394,411 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0 597/2009, धारा 307 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ 0 सं0–744/2012, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अवधेश, सुनील, प्रमोद, शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–02** दिनांक 31.08.2012 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0 डी0 रपट नं0–77, समय 20:50 **प्रदर्श क–03** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण अवधेश, सुनील, शीलेन्द्र उर्फ शीलेश एवं प्रमोद के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–5** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र **प्रदर्श क–04**, दिनांकित 26.08.2013 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/कक्ष संख्या–5, एटा द्वारा दिनांक 05.09.2013 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण अवधेश, सुनील, शीलेन्द्र उर्फ शीलेश एवं प्रमोद के विरूद्ध धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 08.04.2015 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त प्रमोद की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही आदेश दिनांकित 27.02.2025 के माध्यम से उपशमित की गयी है तथा अभियुक्त सुनील की पत्रावली आदेश दिनांकित 04–11–2017 के माध्यम से पृथक की गयी।

7– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 03 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01	सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह	वादी /शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–02	उपनिरीक्षक गोविन्द	तत्कालीन एच०एम०
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–03	सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह	विवेचक

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–01	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह
2	एफ 0 आई 0 आर 0 अपराध संख्या–744/2012	प्रदर्श क–02	पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह
3	जी0 डी0 रपट नं0 77	प्रदर्श क–03	पी०डब्लू०–02 उपनिरीक्षक गोविन्द
4	आरोप पत्र संख्या–475/2013	प्रदर्श क–04	पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह
4	अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति पत्र अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–05	पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 19.07.2023 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को झूॅठा आरोप लगाना बताते हुए अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 के कथानक को गलत गैंगचार्ट बनाकर फर्जी एफ०आई०आर० कराना बताया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–02 के कथानक गलत मुकदमा दर्ज करना बताया गया है तथा पी०डब्लू०–03 के कथानक को झूॅठा आरोप पत्र प्रेषित कर झूॅठी विवेचना करना बताया है। साक्षीगण के बयानात के सम्बन्ध में पुलिस कारगुजारी व उच्चाधिकारियों के दबाब के कारण देना बताया है तथा अभियोग

को कारगुजारी के कारण चलना बताया है एवं सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए कथन किया है कि उनके विरुद्ध फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, जैथरा, जसराना में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।

10– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 124ब/1 से अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं०प्र०सं० व 411, 413, 414 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा से सम्बन्धित आरोप पत्र कागज संख्या 124ब/3, अ०सं०–282/2012, धारा 379, 411 भा०दं०सं०, थाना जसराना, फिरोजाबाद से सम्बन्धित छायाप्रति आरोप पत्र कागज संख्या 124ब/4, अ०सं०–186/2008, धारा 147, 148, 307/149 भा०दं०सं०, थाना जलेसर, एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–1010/2008 राज्य बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 14–07–2014, की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/6 लगायत 124ब/15, अ०सं०–184/2008, धारा 394, 411 भा०दं०सं०, थाना जलेसर, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–55/2008 राज्य बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 20–11–2014 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/17 लगायत 124ब/19, अ०सं०–572/2009, धारा 393, 302, 307 भा०दं०सं०, थाना जलेसर, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–18/2009 राज्य बनाम बाबूजी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 01–10–2015 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/21 लगायत 124ब/24, अ०सं०–134/2008, धारा 392, 411 भा०दं०सं०, थाना जलेसर, जिला एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–69/2008 राज्य बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 10–06–2015 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/26 लगायत 124ब/29, अ०सं०–597/2009, धारा 307 भा०दं०सं०, थाना जलेसर, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–460/2009 राज्य बनाम बाबू जी आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 29–01–2010 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/31 लगायत 124ब/37, अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं०प्र०सं० व 411, 413, 414 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा से सम्बन्धित आरोप पत्र कागज संख्या 124ब/3, अ०सं०–278/2012, धारा 379, 411 भा०दं०सं०, थाना जैथरा, एटा से सम्बन्धित छायाप्रति आरोप पत्र कागज संख्या 124ब/38 दाखिल किया गया है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–01 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.08.2012 को वह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, एटा पद पर नियुक्त था। उस दिन उसने अभियुक्तगण अवधेश पुत्र रामप्रताप, सुनील पुत्र हरीराम निवासी झकरई, थाना अलीगंज, जिला एटा व प्रमोद पुत्र नाथूराम, निवासी टॉडा, थाना एका, जिला फिरोजाबाद तथा शीलेन्द्र उर्फ शीलेश पुत्र बहोरीलाल निवासी पसिया बेगमपुर, थाना जलेसर, जिला एटा के विरुद्ध गैंगचार्ट बनाया था। अभियुक्तगण अवधेश व सुनील के विरुद्ध मु०अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0, 411,413,414 भा0 दं0 सं0, मु0 अ 0 सं0–619/2011, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, मु0 अ 0 सं0–689/2011, धारा 302,394 भा0 दं0 सं0, थाना शमसाबाद, जिला फर्रूखाबाद तथा मु0 अ 0 सं0–271/2012, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद व मु0 अ 0 सं0–278/2012, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, थाना जैथरा, जिला एटा पंजीबद्ध थे तथा अभियुक्त प्रमोद पुत्र नाथूराम के विरुद्ध मु०अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं0 प्र 0 सं0 व 411,413,414 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा, मु0 अ 0 सं0– 619/2011, धारा 379,411 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली

नगर, जिला एटा तथा मु0अ0सं0, 271/2012, धारा 379,411 भा0दं0सं0, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद के मुकदमें पंजीबद्ध थे तथा अभियुक्त शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के विरुद्ध मु०अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं0प्र0सं0 व धारा 411,413,414 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा, मु0अ0सं0–271/2012, धारा 379,411 भा0दं0सं0, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद, मु0अ0सं0–184/2008, धारा 394,411 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा, मु0अ0सं0–186/2008, धारा 147,148,307 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा, मु0अ0सं0–572/2009, धारा 393,397,302 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा, मु0अ0सं0 134/2008, धारा 394,411 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0–92/2009, धारा 394,411 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा, मु0अ0सं0–597/2009, धारा 307 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा आदि प्रदर्शित करते हुए गैंगचार्ट बनाया था। अभियुक्त अवधेश शातिर किस्म का अपराधी था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बना रखा था, गैंग का लीडर था। वह स्वयं तथा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, लूट, पैसे चोरी अपराध करके जनता में भय व आतंक पैदा करता था। इनके क्रियाकलाप भा0दं0सं0 के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराध करके आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते थे। इनका समाज में स्वतंत्र रूप से रहना जनहित में घातक था। इस कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार करके व अपने हस्ताक्षर करके चार्ट को अग्रसारित क्षेत्राधिकारी नगर, एटा से कराया व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 29.08.2012 को अग्रसारित किया गया तथा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी, द्वारा दिनांक 31.08.2012 को अनुमोदित किया गया। कागज संख्या 5अ/1 गैंगचार्ट उसके सामने है, इस पर प्रदर्श क–01 डाला गया। इसके बाद उसने थाना कोतवाली नगर, एटा में गैंगचार्ट वगैरा देकर जुबानी प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलकर लिखायी, जो मु0अ0सं0–744/2012, दिनांक 31.08.2022, समय 20:50 पर किता की गयी। एफ0आई0आर0 किता होने के बाद उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके सामने, जो पत्रावली में कागज संख्या 4अ/1 लगायत 3 है, इस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रोजनामचाआम में प्रविष्टि संख्या–77, समय 20:50 पर दर्ज हुई थी।

13– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि असल जी0डी0 उसके सामने इस समय नहीं है। याद नहीं है कि वह थाने से कितनी बजे शांति व्यवस्था बनाने के लिए निकला था। यह भी ध्यान नहीं कहां गये, क्षेत्र भ्रमण के लिए गये थे। उस दिन कोई वांछित अपराधी नहीं पकड़ा था। गाड़ी का नम्बर याद नहीं है। काफी समय बीत गया है। यह भी पता नहीं है कि जी०डी० में लिखा है या नहीं। दिनांक 31.08.2012 को जुबानी बोलकर रिपोर्ट लिखवाया था। जुबानी रिपोर्ट उसने दी थी। उसे यह याद नहीं है कि कौन–कौन हमराही थे, क्योंकि काफी समय बीत गया है। कायमी मुकदमा में किसी विशेष जनमानस के गवाहों का नाम अंकित नहीं है। शीलेन्द्र व प्रमोद से जनता में भय व्याप्त है, जनता ने बताया, लेकिन जी0डी0 में किसी जनता के गवाह का नाम अंकित नहीं है। कलक्टर साहब ने दिनांक 31.08.2012 को गैंगचार्ट का अनुमोदन किया था। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी व एस0एस0पी0 ने संस्तुति कब की, याद नहीं है। शीलेन्द्र व प्रमोद ने स्वयं ही बताया था कि उनके अन्य जिले फिरोजाबाद में भी मुकदमें है। उसने अपना आदमी भेजकर अन्य जिले में मुकदमों की तस्दीक करायी थी। गैंगस्टर की रिपोर्ट से पहले तस्दीक कराने फिरोजाबाद भेजा था। उसने कोई लिखित आदेश नहीं किया था, मौखिक आदेश पर भेजा था। उसने किसको भेजा था, याद नहीं था। विवेचक ने उसका बयान लिया था, कब व कहां लिया था याद नहीं है। दिनांक 31.08.2012 को समय 20:50 बजे क्षेत्र से वापस आया, उसी समय अभियोग पंजीकृत कराया। जुबानी सूचना पर पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण प्रमोद

व शीलेन्द्र पर कितने मुकदमें गैंगचार्ट पर दर्शाये गये, उसे इस समय याद नहीं है। एक मुकदमा निल/2012, धारा 41/102 दं0प्र0सं0 व 411 भा0दं0सं0 उसके द्वारा लिखाये गये थे। यह कहना गलत है कि शीलेन्द्र व प्रमोद शातिर अपराधी नहीं थे। उसने कार्यगुजारी दिखाने के लिए बिना किसी उच्चाधिकारियों के आदेश से झूॅठा मुकदमा दर्ज करा लिया है। अभियुक्तगण शीलेन्द्र व प्रमोद बहुत ही सीधे साधे व गरीब लोग है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण शीलेन्द्र व प्रमोद ने कोई लूटपाट, हत्या जैसे गम्भीर अपराध न किये है। उसे याद नहीं है कि उसे किन लोगों ने मुल्जिम के बारे में यह बताया था कि यह लूटपाट लोगों को परेशान तथा नाजायज तरीके से लूटपाट करते है व लोगों को जान से मारने की धमकी देते है। एफ०आई०आर० लिखाते समय उसे उन लोगों के नाम याद थे, लेकिन एफ०आई०आर० में उनके नाम नहीं लिखाये। उसने उनके नाम लिखाना जरूरी नहीं समझा था। विवेचक ने उसके बयान लिये। विवेचक को भी उसने उनके नाम बताना जरूरी नहीं समझा। उसने गैंगचार्ट में दर्शाये गये केसों के बारें में उनकी वास्तविक स्थिति पता नहीं लगायी। वह मुल्जिमान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। किसी की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे नहीं पता था और न कभी इनकी आर्थिक स्थिति देखने की कोशिश की थी। किसी मुल्जिम के खिलाफ इस एफ०आई०आर० से पहले कोई एफ०आई०आर० उसके सामने दर्ज नहीं हुई थी। गैंगचार्ट में दर्शाये गये केसों का निपटारा न्यायालय से हुआ या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह कहना गलत है कि झूॅठी एफ०आई०आर० के आधार पर उसने मौजूदा रिपोर्ट मुल्जिम के खिलाफ लिखायी है। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिम हरगिज गैंगलीडर या गैंग अपराधी नहीं है। यह कहना भी गलत है कि उसने कोई आपराधिक कृत्य न किया है और उसके विरुद्ध राजनैतिक दबाव में झूंठी गवाही लिखायी है।

14– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक गोविन्द** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 31.08.2012 को थाना कोतवाली नगर, जिला एटा पर एच०एम० के पद पर तैनात रहे थे। उस दिन प्रभारी निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह रघुवंशी द्वारा गैंगचार्ट नियमानुसार अनुमोदितशुदा, जिसका गैंगलीडर अवधेश व सदस्य सुनील, प्रमोद व शीलेन्द्र का गैंगचार्ट दाखिला व वर्णित तथ्यों व सूचना जुबानी के आधार पर अ0सं0 744/2012, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अवधेश आदि की चिक कम्प्यूटर उसके द्वारा टाइप की गयी थी, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–02 पहले से जुड़ा हुआ है। कायमी मुकदमा का इन्द्राज रपट संख्या 77 समय 20:50, दिनांक 31.08.2012 को असल के साथ कार्बन लगाकर तैयार की गयी थी, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर थाना कोतवाली नगर, एटा के मुहर लगी है, जिसको वह अपने हस्ताक्षर से सही होना प्रमाणित करता है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, फोटोस्टेट पर प्रदर्श क–03 डाला गया।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि चिक एफ०आई०आर० उसने दिनांक 31.08.2012 को समय 20:50 बजे अंकित की थी। उस दिन और कितनी चिक उसके द्वारा किता की गयी, उसे याद नहीं है। एस0एच0ओ0 चन्द्रशेखर रघुवंशी की मौखिक सूचना के आधार पर चिक एफ०आई०आर० पंजीकृत की थी। उन्होंने बैठकर बोल–बोलकर लिखायी थी। एफ०आई०आर० लगभग 30 मिनट में लिख गयी थी। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा ने कुछ बोला है और उसके द्वारा कुछ लिखा गया है। यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा उसके सीनियर होने के कारण उसने उनके दबाव में झूॅठी चिक एफ०आई०आर० किता की है। यह कहना भी गलत है कि वह आज झूॅठा बयान दे रहा है।

16– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–03 सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.04.2013 को थाना कोतवाली देहात एटा पर बतौर एस०एस०आई० के पद पर तैनात रहे। उस दिन उसके द्वारा अ0सं0 744/2012, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम

अवधेश 4 नफर की विवेचना, पूर्व विवेचक के ट्रांसफर हो जाने की वजह से विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी। पूर्व सी०डी० का उसके द्वारा अवलोकन किया गया, जिसका विवरण पर्चा नं0 13 में उसके द्वारा किया गया। दिनांक 08.05.2013 को अभियुक्त शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के विरुद्ध थाना जलेसर व तहसील जलेसर में सम्पत्ति के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगने हेतु भेजी गयी, जिसका विवरण पर्चा नं0 14 में किया गया। दिनांक 15.05.2013 को पर्चा नं0 15 किया गया, जिसमें अभियुक्त प्रमोद का बयान न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार, एटा में लिया गया। अभियुक्तगण अवधेश व सुनील का फतेहगढ़ ट्रांसफर हो जाने की वजह से बयान नहीं हो सका। दिनांक 29.05.2013 को पर्चा नं0 16 किता किया गया, जिसमें अ0सं0–619/2011, धारा 379 भा0दं0सं0 वादी अमरपाल का बयान लिया गया। दिनांक 04.06.2013 को अभियुक्तगण अवधेश व सुनील का बयान न्यायालय की अनुमति से जिला फतेहगढ़ में जाकर लिया। अभियुक्त शीलेन्द्र उर्फ शीलेश की सम्पत्ति के बारे में तहसीलदार जलेसर की आख्या प्राप्त हुई, तो उसके पास मकान व जमीन नहीं पाया गया। दिनांक 12.07.2013 को पर्चा नं0 18 किता किया, जिसमें शीलेन्द्र के विरुद्ध थाना जलेसर में पंजीकृत अभियोग की एफ०आई०आर०/सी०एस० की दोबारा रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 19.07.2013 को पर्चा नं0 19 किता किया, जिसमें शीलेन्द्र के विरुद्ध 6 मुकदमों की नकल प्राप्त हुई तथा अभियोजन स्वीकृति न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 25.07.2013 को अभियुक्त शीलेन्द्र के विरुद्ध थाना जलेसर पर पंजीकृत एफ०आई०आर० प्राप्त की, जिसका पर्चा नं0 20 में तस्करा किया गया। दिनांक 14.08.2013 को पर्चा नं0 21 किता किया गया, जिसमें उसके द्वारा थाना शमसाबाद, जनपद फर्रूखाबाद में जाकर अ0सं0–689/2011, धारा 394,302,411 भा0दं0सं0 के विवेचक डी०के० सिंह व वादी उपरोक्त सलीम खां पुत्र कमर खां व चिक एफ०आई०आर० लेखक रामचन्द्र सिंह का बयान लिया व पूर्व आपराधिक इतिहास व गैंगचार्ट का तस्करा उसके द्वारा किया गया। दिनांक 26.08.2013 को पर्चा नं0 13 किता किया गया, जिसमें अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा अजय मोहन शर्मा द्वारा दी गयी, चारों मुल्जिमानों की प्राप्त की। उसके बाद सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 475/2013 दिनांक 26.08.2013 को आरोप पत्र उसके द्वारा न्यायालय प्रेषित किया गया, जो उसके लेख हस्ताक्षर में आरोप पत्र 3अ संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–04 डाला गया तथा अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन एस०एस०पी० अजय मोहन शर्मा के हस्ताक्षर की टाइपशुदा पत्रावली पर 6अ संलग्न है। वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अभियोजन स्वीकृति पर प्रदर्श क–05 डाला गया।

17– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि दिनांक 28.08.2012 को वह कोतवाली देहात बतौर एस०एस०आई० के पद पर तैनात रहा। फिर कहा कि उस समय वह जिला बाराबंकी में तैनात था। उसके कुछ समय बाद वह कोतवाली देहात पर एस०एस०आई० के पद पर तैनात रहा। इस केस के वादी चन्द्रशेखर सिंह एस०एच०ओ० कोतवाली नगर थे। ये तफ्तीश उसे पूर्व एस०एस०आई० शशी प्रकाश शर्मा से प्राप्त हुई। जनता का गवाह सलाम खां का बयान लिया गया। इस गवाह ने अपने भाई की हत्या तथा अपनी मोटरसाईकिल के चोरी के बारे में बयान दिया था। अभियुक्तगण अवधेश, शीलेन्द्र, प्रमोद व सुनील के बारे में इस गवाह ने कोई बयान नहीं दिया। उसकी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने मुल्जिमानों के खिलाफ उक्त केस से सम्बन्धित कोई बयान दिया है। अभियुक्त शीलेन्द्र के अलावा उसने किसी अन्य अभियुक्त की प्रापर्टी व माली हालत के बारे में पता नहीं लगाया। वह नहीं बता सकता कि मुल्जिमानों ने गैंग तथा गुण्डागर्दी के आधार पर कितनी सम्पत्ति अर्जित की है। अभियुक्त शीलेन्द्र की सम्पत्ति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों के परिणामों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। दौरान विवेचना भी उसने इन मुकदमों के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं की थी। अभियुक्त शीलेन्द्र के अलावा वह नहीं

बता सकता कि पूर्व आई०ओ० ने गैंगचार्ट में दिखाये गये केसो की एफ०आई०आर० चार्जशीट में लगायी या नहीं। अ0सं0–619/2011 की एफ०आई०आर० संलग्न है, अन्य मुकदमों की कोई एफ०आई०आर० नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा सरकारी कार्यगुजारी दिखाने के लिए न्यायालय में झूॅठा आरोप पत्र प्रेषित किया है।

18– धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

1. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।
2. अभियुक्त द्वारा भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।
3. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(i)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ii)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0डी0पी0एस0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0दं0सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विध्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

19– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर हत्या, जबरन वसूली व हत्या का प्रयास जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–01 लगायत पी०डब्लू०–03 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

20– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–03 सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसकी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने मुल्जिमानों के खिलाफ उक्त केस से सम्बन्धित कोई बयान दिया है। अभियुक्त शीलेन्द्र के अलावा उसने किसी अन्य अभियुक्त की प्रापर्टी व माली हालत के बारे में पता नहीं लगाया। वह नहीं बता सकता कि मुल्जिमानों ने गैंग तथा गुण्डागर्दी के आधार पर कितनी सम्पत्ति अर्जित की है। अभियुक्त शीलेन्द्र की सम्पत्ति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

21– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

–निष्कर्ष–

22– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण अवधेश एवं शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके विरूद्ध दर्ज मु०अ०सं०–निल/2012, धारा 41/102 दं0प्र0सं0 व धारा 411,413,414 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम अवधेश एवं शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0अ0सं0–619/2011, धारा 379,411 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा, बनाम अवधेश, मु0अ0सं0–278/2012, धारा 379,411 भा0दं0सं0, थाना जैथरा, जिला एटा बनाम अवधेश, मु0अ0सं0 689/2011, धारा 302,394 भा0दं0सं0, थाना शमशाबाद, जिला फर्रूखाबाद बनाम अवधेश, मु0अ0सं0–271/2012, धारा 379,411 भा0दं0सं0, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद बनाम अवधेश एवं शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0अ0सं0 184/2008, धारा 394,411 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0अ0सं0 186/2008, धारा 148,148,307 भा0दं0सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश,

मु0 अ 0 सं0 572/2009, धारा 393, 397, 302 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0 134/2008, धारा 394, 411 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश, मु0 अ 0 सं0 597/2009, धारा 307 भा0 दं0 सं0, थाना जलेसर, जिला एटा बनाम शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के आधार पर की गयी थी।

23– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–01 को अपने हस्ताक्षर एवं एफ०आई०आर० प्रदर्श क–02 को कम्प्यूटर द्वारा किता किया जाना बताते हुए साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 05 व 06 पर कथन किया है कि कायमी मुकदमा में किसी विशेष जनमानस के गवाहों का नाम अंकित नहीं है। शीलेन्द्र व प्रमोद से जनता में भय व्याप्त है, जनता ने बताया, लेकिन जी0 डी0 में किसी जनता के गवाह का नाम अंकित नहीं है। शीलेन्द्र व प्रमोद ने स्वयं ही बताया था कि उनके अन्य जिले फिरोजाबाद में भी मुकदमें है। उसने अपना आदमी भेजकर अन्य जिले में मुकदमों की तस्दीक करायी थी। गैंगस्टर की रिपोर्ट से पहले तस्दीक कराने फिरोजाबाद भेजा था। उसने कोई लिखित आदेश नहीं किया था, मौखिक आदेश पर भेजा था। उसने किसको भेजा था, याद नहीं था। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–06 मे यह कथन किया है कि अभियुक्तगण शीलेन्द्र व प्रमोद बहुत ही सीधे साधे व गरीब लोग है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण शीलेन्द्र व प्रमोद ने कोई लूटपाट, हत्या जैसे गम्भीर अपराध न किये है। उसे याद नहीं है कि उसे किन लोगों ने मुल्जिम के बारे में यह बताया था कि यह लूटपाट लोगों को परेशान तथा नाजायज तरीके से लूटपाट करते है व लोगों को जान से मारने की धमकी देते है। उसने गैंगचार्ट में दर्शाये गये केसों के बारें में उनकी वास्तविक स्थिति पता नहीं लगायी। वह मुल्जिमान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। किसी की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे नहीं पता था और न कभी इनकी आर्थिक स्थिति देखने की कोशिश की थी। गैंगचार्ट में दर्शाये गये केसों का निपटारा न्यायालय से हुआ या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है।

24– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

25– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में उपनिरीक्षक गोविन्द को पी०डब्लू०–02 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा अ०सं०–744/2012, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० प्रदर्श क–02, जी०डी० रपट नं०–77 को प्रदर्श क–03 को कम्प्यूटर से टाइप करना बताते हुए को अपने हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

26– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह पी०डब्लू०–03 को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोप पत्र को अपने हस्ताक्षर से प्रदर्श क–04 के रूप में साबित किया है तथा अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–05 को तत्कालीन एस०एस०पी० अजय मोहन शर्मा द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–03 में कथन किया है कि उसकी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने मुल्जिमानों के खिलाफ उक्त केस से सम्बन्धित कोई बयान दिया है। अभियुक्त शीलेन्द्र के अलावा उसने किसी अन्य अभियुक्त की

प्रापर्टी व माली हालत के बारे में पता नहीं लगाया। वह नहीं बता सकता कि मुल्जिमानों ने गैंग तथा गुण्डागर्दी के आधार पर कितनी सम्पत्ति अर्जित की है। अभियुक्त शीलेन्द्र की सम्पत्ति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है।

27– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

28– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक कोमल सिंह (पी०डब्लू०–03) के द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–03 पर स्पष्टतः कथन किया गया है कि उसकी तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा गवाह नहीं मिला, जिसने मुल्जिमानों के खिलाफ उक्त केस से सम्बन्धित कोई बयान दिया है। अभियुक्त शीलेन्द्र के अलावा उसने किसी अन्य अभियुक्त की प्रापर्टी व माली हालत के बारे में पता नहीं लगाया। वह नहीं बता सकता कि मुल्जिमानों ने गैंग तथा गुण्डागर्दी के आधार पर कितनी सम्पत्ति अर्जित की है। अभियुक्त शीलेन्द्र की सम्पत्ति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह (पी०डब्लू०–01) जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार पर प्रदर्श क–02 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है, उनके द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–07 पर कथन किया गया है कि किसी की आर्थिक की स्थिति के बारे में नहीं पता है और न कभी किसी की आर्थिक स्थिति देखने की कोशिश की थी। इसी मुल्जिम के खिलाफ कोई एफ०आइ०आर० दर्ज नहीं हुयी थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 03 कोमल सिंह के द्वारा मुख्य परीक्षा में ही कथन किया है कि अभियुक्त शीलेन्द्र उर्फ शीलेश की सम्पत्ति के बारे में तहसीलदार जलेसर की आख्या प्राप्त हुयी थी, तो इसके पास मकान व जमीन नहीं पाया गया था। उक्त साक्षी ने अपने जिरह के पेज क्रमांक 03 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता है कि मुल्जिमानों ने गैंगस्टर तथा गुण्डागर्दी के आधार पर कितनी सम्पत्ति अर्जित की है। अभियुक्त शीलेन्द्र की सम्पत्ति के बारे में पता लगाया था तो उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी।

29– इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त कोमल सिंह पी०डब्लू०–03 एवं अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है ओर न ही भौतिक व आर्थिक रूप से सम्पत्ति कमायी गयी है।** इसके अतिरिक्त **पत्रावली में प्रमाण पत्र कागज संख्या 18ब/2 एवं 18ब/10 संलग्न है, जिसमें यह बात का उल्लेख है कि अभियुक्तगण के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है। अभियुक्त अवधेश के पास पैत्रिक सम्पत्ति के होने का उल्लेख है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त

कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

30– इसके अतिरिक्त अभियुक्त शीलेन्द्र उर्फ शीलेश के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में दर्शित मु0अ0सं0–186/2008 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/6 लगायत 124ब/15) में पारित निर्णय दिनांकित 14–07–2014, अ०सं०–184/2008 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/16 लगायत 124ब/19) में पारित निर्णय दिनांकित 20–11–2014, अ०सं०–572/2009 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/20 लगायत 124ब/24) में पारित निर्णय दिनांकित 01–10–2015, अ०सं०–134/2008 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/26 लगायत 124ब/29) में पारित निर्णय दिनांकित 10–06–2015 एवं अ०सं०–597/2009 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 124ब/30 लगायत 124ब/37) में पारित निर्णय दिनांकित 29–01–2010 के माध्यम से अभियुक्त शीलेन्द्र को दोषमुक्त किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्त शीलेन्द्र के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए0एच0सी0 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है।

31– इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा पुलिस मेनुअल के पैरा–253 व 254 के अनुपालन में कोई गिरोह पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त नसरू का कोई गिरोह था, जिसका इन्द्राज गिरोह पंजी रजिस्टर में था। प्रारूप संख्या–45 में भी गिरोह पंजी होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि गिरोह तथा गिरोह के सभी सदस्य थाने पर रखी जाने वाली गिरोह पंजी में नामित हैं।

32– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

33– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली

पर उपलब्ध नहीं है। इस मामले में अभियुक्तगण के पास अपराध से अर्जित कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं पायी गयी है। पत्रावली में ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण का समाज में भय व्याप्त था और लोक व्यवस्था के लिए अभियुक्तगण खतरा उत्पन्न कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण **अवधेश** एवं **शीलेन्द्र उर्फ शीलेश** को **जी0एस0टी0 संख्या–16/2013 उ0प्र0 राज्य** बनाम **अवधेश आदि**, **मुकदमा अपराध संख्या–744/2012**, थाना **कोतवाली नगर**, जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 01–04–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 01–04–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690